17.9.18	प्रार्थी नं. 3 घासीराम द्वारा प्रार्थना पत्र अ. धारा 152 CPC एवं सपठित धारा 151 CPC तथा प्र. पत्र मिसल तामील प्रस्तुत करने पर पत्रावली आज पेश हुई। प्रस्तुत मूल प्र. पत्र अ. धारा 251 (क) रा. का. अ. में न्यायालय हाजा द्वारा दिनांक 28.6.2018 को निर्णय इस आशय का पारित किया गया था कि " प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि ख. नं. 1591 ग्राम गुड़ागोड़जी की सरहद में आने जाने के लिए अप्रार्थीगण के भूमि ख. नं. 1568 की उत्तरी सीमा पर कटान शुदा रास्ते से ख. नं. 1568 की पश्चिम सीमा के सहारे-सहारे 4 मीटर चौड़ा एवं 47 मीटर लम्बाई का रास्ता कायम किया जाता है तथा रास्ते में समायोजित होने वाली भूमि के बदले प्रार्थीगण की भूमि ख. नं. 1568 के खातेदारों को भूमि देंगे। प्रकरण में प्रार्थीगण अनुसूचित जाति के सदस्य है तथा अप्रार्थी सं. 1 से 4 स्वर्ण जाति के सदस्य है प्रार्थीगण अगर प्रकरण में अप्रार्थीगण को भूमि के बदले भूमि देते है तो धारा 42 रा. का. अधिनियम का उल्लंघन होता है। इस कारण न्यायालय हाजा के निर्णय की पालना नहीं हो पा रही है। प्रस्तुत पत्रावली एवं राजस्व रिकार्ड से भी इस बात की पुष्टि होती है। प्रार्थीगण वर्तमान डी एल सी की दर से रास्ते में समायोजित होने वाली भूमि की कीमत देने के लिए तैयार है। वकील प्रार्थी नं. 3 को सुना गया। प्रस्तुत प्र. पत्र सही होने से स्वीकार किया जाना उचित व न्यायोचित प्रतीत होता है। **आदेश** प्रस्तुत प्र. पत्र अ. धारा 152 एवं सपठित धारा 151 CPC स्वीकार किया जाता है तथा प्रकरण में धारा 42 रा. का. अ. के उल्लंघन के मद्देनजर प्रकरण में कायम किये गये रास्ते में समायोजित होने वाली भूमि के बदले भूमि के बजाय वर्तमान DLC की दो गुणा कीमत तय कर अप्रार्थीगण को भुगतान किये जाने का आदेश संशोधित किया जाता है तदनुसार तहसीलदार उदयपुरवाटी वर्तमान DLC की दोगुणा कीमत तय कर अप्रार्थीगण खातेदारों को भुगतान की कार्यवाही कर तदनुसार निर्णय दिनांक 28.6.2018 की पालना सुनिश्चित करें। यह आदेश पूर्व निर्णय दिनांक 28.6.18 का अभिन्न हिस्सा रहेगा। प्रार्थना पत्र फैसल शुमार हो। हस्ताक्षर 17/9/18 उपखण्ड अधिकारी उदयपुरवाटी (झुंझुनूं)